संख्या- 554 /दस-2-2004-12(8)/2004

प्रेषक,

किशन नाथ
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
उत्तरांचल, नैनीताल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 24 अप्रैल, 2004

विषयः- आयोजनागत पक्ष की "टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत साख सीमा की आवश्यक मदों में वर्ष 2004-05 के प्रथम चार माह की वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि. 607वै.स./35-1-बी दिनांक 01.04.2004 एवं वित्त अनुभाग-1 की पत्र संख्या-240/वि.अनु.-1/2004 दिनांक 27.03.2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं के लिए साख सीमा मदों में रू0 3,71,00,000/-(रू0 तीन करोड़ इकहत्तर लाख) मात्र की धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चत किया जाना होगा कि गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में स्वीकृत धनराशि की पूर्ण प्रतिपूर्ति टी.एच.डी.सी. द्वारा कर दी गयी है.
2. टी.एच.डी.सी. परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा अब तक किये गये कार्यो की बाह्य एजेन्सी के माध्यम से Work Studay /Impact Studay तीन माह में TOR शासन से अनुमोदन कराकर करवा ली जाय.
3. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए किया जाय.
4. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
6. क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
7. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जाय.
9. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नाम में डाला जायेगा.
11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या -54/वि.अनु.-2/2004 दिनांक 16.04.2004 में दी गयी सहमति से जारी किया जा रहा है.

भवदीय

(किशन नाथ)
अपर सचिव

..2

संख्या- 554 (2)/वस-2-2004, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन.
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
8. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
9. गार्ड फाईल.

संलग्नक: यथोपरि.

आज्ञा से

(किशन नाथ)
अपर सचिव

शा. सं. 554/1(2)-व.ग्रा.वि./2004-12(8)/2004 दिनांक 24-4-2004 का संलग्नक

वन एवं पर्यावरण विभाग,उत्तरांचल के अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष की "टी.एच.डी.सी. वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत साखसीमा की आवश्यक मदों में वर्ष 2004-05 के प्रथम 4 माह की वित्तीय स्वीकृति:-

(धनराशि-हजार रू. में)

क्रम संख्या	योजना का नाम/लेखा शीर्षक	मानक मद	मद प्रकार	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
	राजस्व लेखा---अनुदान संख्या-27			
	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन			
	01- वानिकी			
	800- अन्य व्यय			
1	11- टी.एच.डी.सी. सहायतित योजना			
	11-01- टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना		(THDC पोषित)	
		24- वृहत निर्माण	साख सीमा	10000
		25- लघु निर्माण		500
		26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र		167
		29- अनुरक्षण		20767
		योग		31434
	02- अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	02-10- टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना			
		24- वृहत निर्माण	साख सीमा	2333
		29- अनुरक्षण		3333
		योग-		5666
		योजना का कुल योग		37100

(रू. तीन करोड़ इकहत्तर लाख मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव